परमेश्वर लाल - मदनलाल अपील 41/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31.07.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विचाराधीन अपील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद खारिज कर दिया उसके खिलाफ पेश की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश नियम विरूद्ध पारित किया है। जिसे पूनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय में रिमाण्ड किया जाकर निर्देश प्रदान करके निर्णय मेरिट के आधार पर पारित करने हेतु आदेशित करें। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सही है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दावा खारिज किया गया है। क्योंकि अपंजीकृत विक्रय अनुबन्ध के आधार पर वाद में घोषणा का अधिकार विचारण न्यायालय को नही था जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अपंजीकृत विक्रय अनुबन्ध पत्र के आधार पर की गई अपील क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः अपील खारिज की जावें। वकील उभयपक्षों की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपंजीकृत विक्रय अनुबन्ध के आधार पर उदघोषणा का दावा पेश किया गया जिसको विचारण न्यायालय ने आवदेन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया गया। जिसकी अपील इस न्यायालय में की गई है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से जाहीर होता है कि विचारण न्यायालय ने वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटी नहीं की है। प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है व प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्ववंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन रा.अ.अ. सीकर